न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 31/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
घीसूलाल पुत्र मलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी धामली तहसील मारवाड़ जंक्शन		1 शंकरलाल पुत्र मलाराम 2 राजेन्द्र पुत्र शंकरलाल जातिगण ब्राहम्ण निवासी धामली 3 दुर्गादेवी पत्नी ढलाराम 4 लक्ष्मी पत्नी देवाराम जाति ब्राहम्ण निवासी चवाडिया तहसील मा0जं0 5 लीलादेवी पत्नी पुखराज जाति ब्राहम्ण निवासी हिंगोला कला, तहसील मारवाड़ जंक्शन 6 तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री दिलीपसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 15/3/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 308/2010 बअनवान घीसूलाल बनाम शंकरलाल में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम धामली के खसरा नम्बर 811, 921, 1465/827 कुल रकबा 4.0215 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 1518 गै0मु0 बेरा में अपीलाण्ट गत 50 वर्षो से काबिज काश्त है तथा अपीलाण्ट का सेटल पज़ेशन है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम बतौर खातेदार दर्ज था। इस पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

न्यायालय के समक्ष जो जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया, उसमें यह जाहिर किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सगे भाई है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 उनकी बहिने है। इस कारण उक्त कृषि भूमि में सभी का 1/5 – 1/5 हिस्सा निहित है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलाण्ट का वाद खारिज कर दिया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद स्वीकार किया जाकर जैर अपील निर्णय पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। उक्त भूमि पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अपीलाण्ट तथा पेपी के नाम दर्ज था, किन्तु काश्त अपीलाण्ट ही करता था। अपीलाण्ट का माता द्वारा उक्त भूमि अपने जीवनकाल में ही अपीलाण्ट को गिफ्ट कर दी थी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भी अपीलाण्ट के पक्ष में अपना हक त्याग दिया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 का उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज नहीं था तथा न ही इनके द्वारा पिता के स्वर्गवास के पश्चात दर्ज नामान्तरकरण को कभी चुनौती दी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 के हको का भी निर्धारण किया गया, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 का आम मुख्तियार होना बताते हुए उक्त भूमि में से कुछ भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को कर दिया, जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित किया है तथा अपीलाण्ट के साक्ष्य के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई खण्डात्मक साक्ष्य प्रसतुत नहीं की। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना क्लेम भी प्रस्तुत नहीं किया। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए न केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपितु रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 के हकों का भी निर्धारण कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर सोजत के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या 79/98 अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जो वाद वर्ष 2004 में खारिज हुआ। इस प्रकार समस्त तथ्य पूर्व वाद में ही निर्णीत हो चुके थे व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पूर्व वाद में रिसीवर का प्रार्थना पत्र प्रसतुत किया व कब्जा अपीलाण्ट का होना स्वीकार किया, इस कारण काउण्टर क्लेम कानूनन बार्ड था। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध है। जैर अपील निर्णय अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में सुनाया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि पूर्व में भलाराम के नाम दर्ज थी। भलाराम के 6 वारिशान थे, जो अपीलाण्ट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3 से 5 एवं भलाराम की पत्नी पेपीदेवी थी। भलाराम फौत होने पर जो नामान्तरकरण दायर किया गया, वह नामान्तरकरण अपीलाण्ट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व पेपी के नाम दायर किया गया, जबकि उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 का भी हक हिस्सा निहित था। इसके पश्चात पेपीबाई फौत होने पर जो फौतेदगी नामान्तरकरण दायर किया गया, उसमें अपीलाण्ट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 से 5 का नाम राजस्व रेकर्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 द्वारा अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

3/5वे हिस्से में 1/5 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बेचान कर दिया, इस प्रकार उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का 1/5 हिस्सा तथा शेष 2/5 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 5 का रहा। इस प्रकार वादस्थ भूमि में अपीलाण्ट का मात्र 1/5 हिस्सा एवं बेरे की भूमि में 1/20वां हिस्सा निहित है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 का वादस्थ भूमि में 4/5 हिस्सा तथा बेरे की भूमि में 4/5वां हक हिस्सा निहित है। इसी अनुरूप काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रवली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 के तहत प्रस्तुत कर जैर अपील वादस्थ भूमि को वादी की खातेदारी घोषित कराने एवं रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द कराने का निवेदन किया। इस पर रेस्पोडेन्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा एवं प्रतिदावा प्रस्तुत किया तथा वादी/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्यों को नकारते हुए वादस्थ भूमि में प्रतिवादी /रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 का 4/5 हिस्सा व खसरा नम्बर 824 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 का 4/20वां हिस्सा खातेदारी घोषित कराने एवं भूमि का विभाजन कराते हुए अपीलाण्ट/वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकीयात कायम की गई, उसमें से प्रथम तनकी यह थी कि – आया वादी खसरा नम्बर 811, 921, 1465/827, 824 व 825 की भूमि का अकेले स्वामित्व की खातेदारी भूमि होने से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर डाला गया तथा द्वितीय तनकी जो कायम हुई, वह इस प्रकार थी कि – आया प्रतिवादीगण खसरा नम्बर 811, 921, 1465/827, 824 व 825 की कृषि भूमि का बंटवाडा करवाकर खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर डाला गया। उक्त तनकीयात को अपने पक्ष में साबित करने हेतु उभयपक्ष द्वारा दस्तावेजी प्रदर्शित करवाये एवं मौखिक साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष परिक्षित करवाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं मुख्य परीक्षण में परिक्षित हुए गवाहों के बयानात् में प्रस्तुत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तनकीयात विनिश्चित करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 308/2010 बअनवान घीसूलाल बनाम शंकरलाल में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय आज दिनांक 15/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली